

कार्यालय सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज

पत्रांक: बे.शि.प./4134/2026-27

विज्ञप्ति

दिनांक: 13 जून, 2026

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2026 के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन जनपदों में सविदा/ डेलीवेजेज / आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकएटर सी०टी०ई०टी० / टी०ई०टी० उर्तीर्ण (Desirable) तथा भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता धारित करने वाले विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकएटर) से दिनांक 29.06.2026 की रात्रि 12.00 बजे तक निम्न प्रारूप पर आवेदन ई०-मेल आई०डी० specialeducatorcwsn2026@gmail.com पर संलग्नकों सहित उपलब्ध कराया जा सकता है।

- आवेदन का प्रारूप -

1. विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकएटर) का नाम:.....
2. पिता का नाम:
3. कार्यरत जनपद का नाम:
4. सविदा/ डेलीवेजेज/ आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकएटर होने का अनुबंध पत्र/ कार्यदेश:
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
6. गृह जनपद का नाम व पता:
7. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता:
8. भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत एक्टिव सी०आर०आर० संख्या:
9. भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित धारित योग्यता का विवरण:
10. सी०टी०ई०टी०/ टी०ई०टी० (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण होना Desirable अर्हता होगी।
11. सविदा / डेलीवेजेज पर कार्यरत विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकएटर) जो पूर्व में स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं, को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

घोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/ करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है, चयन / नियुक्ति के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरांत को: विवरण असत्य व गलत पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मेरे पास उपलब्ध हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम

तिथि

- सामान्य निर्देश -

1. विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकएटर) को शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. सविदा/डेलीवेजेज/आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकएटर का अनुबंध पत्र/कार्यदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत एक्टिव सी०आर०आर० का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सी०टी०ई०टी०/ टी०ई०टी० (प्राथमिक /उच्च प्राथमिक स्तर) (Desirable अर्हता) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. अंतिम तिथि के बाद का कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

सचिव,

उ.प्र., बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज